

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

भंवरलाल बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी फलोदी)

नं० व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

सू.अ.अ. अपील संख्या 166/2020

20.10.20

अपीलार्थी भंवरलाल पुत्र भरमलराम खिलेरी, पता ग्राम सोनलपुरा राणेरी, तहसील बाप जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 13.08.20 में उसके द्वारा (1) उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेश दिनांक 17.05.1979 को खसरा नम्बर 20 में एलॉटमेंट किया गया है उससे संबंधित एलोटमेंट आदेश की प्रति, पटवारी की रिपोर्ट व आवंटन समिति के द्वारा आवंटन की अनुशंषा रिपोर्ट, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

